

मु० नम्बर.....किस्म.....

315/22

सुगरशिमर.....उनवान.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

13 ²/₂₅

पत्तापत्ती देना है। प्राविजित व प्राविजित
 वकील उपरो नहीं। अप्राविजित वकील उपरो
 प्राविजित व प्राविजित वकील को बार-बार
 आवान दिलवायी गयी। आवान दिलवाने के
 बावजूद प्राविजित व प्राविजित वकील उपरो
 नहीं। अप्राविजित वकील ने प्रकरण प्राविजित
 व प्राविजित वकील के अनुपस्थित होने पर
 प्रकरण बरामित करने का निर्देश किया।
 प्राविजित व प्राविजित वकील आवानदिलवाने
 के बावजूद उपरो नहीं होने पर प्राविजित वकील
 है कि प्राविजित व प्राविजित वकील
 प्रकरण जारी चलान में रुचि नहीं लिखा
 है। अतः मु० न० 315/22 प्राप्ति 09R9
~~प्राविजित~~ सुगरशिमर ववान अलफिश अपरिद
 किया जा रहा है। पत्तापत्ती के लिए सुगर
 शिमर नम्बर से आवान।

सुगरशिमर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करोली)

